

16/12/16
03:17 PM

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं०सं०- 5/निदे० (को० मैट्रिक विनि०)-05/39/मस-

प्रेषक,
वीरेन्द्र कुमार (भा०प्र०से०),
निदेशक

6238

सेवा में,
निदेशक/प्राचार्य,
सभी संबंधित संस्थान।


पटना, दिनांक-14.12.16

विषय:-वर्ष 2013-14/2014-15 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत भुगतान की गयी छात्रवृत्ति राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के संबंध में।

महाशय,
उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2013-14/2014-15 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आपके संस्थान को विभाग द्वारा छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया गया है (सूची संलग्न), परन्तु आपके संस्थान से विभाग को उक्त राशि का अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अनुरोध है कि संस्थान को प्राप्त छात्रवृत्ति राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलम्ब विभाग को भेजने की कृपा की जाए। साथ ही जो छात्र सत्र के मध्य में ही संस्थान छोड़ चुके हैं उनका अनुरक्षण भत्ता विभाग को वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,


(वीरेन्द्र कुमार),
निदेशक

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग।